ISSN 2321-0567
Vol. X, Issue II (Oct. – 2022)

भारत में चुनाव सुधारः एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

ममता रानी
सहायक प्रोफेसर
भक्त फूल सिंह उच्चतर शैक्षणिक संस्थान महिला विश्वविद्यालय, खानपुर कलॉ, सोनीपत ।

संक्षेपिकाः–

आधुनिक लोकतंत्र का मुख्य आधार उसमें जनता का सक्रिय सहयोग है। जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करके शासन को चलाने का अधिकार देती है और शासकों के कार्यों का परीक्षण करके तय करती है कि अगले चुनावों में उन्हें फिर से शासन करने का अधिकार दिया जाएं या नहीं लोकतान्त्रिक व्यवस्था में चुनाव नींव का काम करती है। चुनावों में भाग लेने से एक ओर जनता में सार्वजनिक कार्यो में भाग लेने की रूचि उत्पन्न होती है। तो दूसरी और लोकप्रिय निर्वाचनों के द्वारा बनी सरकार को वैधानिकता प्राप्त होती है। जिससे सरकार का रूप तानाशाही एवं निरकुंश नहीं बन पाता है। इसलिए लोकतंत्र में चुनावों का अत्यधिक महत्व है क्योंकि यही वह माध्यम है जिसके द्वारा सता का शान्तिपूर्ण ढंग से हस्तांतरण है।

लोकतंत्र की सफलता के लिए जरूरी है कि चुनावों में पारदर्शिता एवं निष्पक्षता रखी जाएं। इसलिए भारतीय संविधान निर्माताओ ने संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक चुनावों से संबंधित प्रावधानो का वर्णन किया है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली में चुनाव राजनीति का सबसे अभिन्न और महत्वपूर्ण भाग है प्रस्तुत शोध पत्र के माध्यम से चुनाव आयोग एवं उससे संबंधित प्रावधानों का विस्तृत वर्णन करने की कोशिश की गई है तथा इसके साथ–2 चुनावों की प्रासंगिकता एवं निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए समय–समय पर गठित की गई चुनाव सुधार संबंधित समितियां का भी विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है। प्रस्तुत शोध पत्र के माध्यम से समय–2 पर किए गए सुधारो का भी वर्णन किया गया है ।

मुख्य शब्दः चुनाव अयोग, भारत, प्रासंगिकता, समितियां, लोकतान्त्रिक, मतदाता, चुनाव, चुनाव सुधार।

ISSN 2321-0567
Vol. X, Issue II (Oct. – 2022)

शोध–उद्देश्य :

1. शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य भारत में चुनाव आयोग से संबंधित जानकारी हासिल करना।
2. चुनाव सुधारों संबंधित समितियों का अध्ययन करना।
3. चुनावों से संबंधित किए गए सुधारों एवं दोषों का विस्तृत वर्णन करना।

भारत में चुनाव आयोग :

भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों हेतू स्वतंत्र संवैधानिक चुनाव आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को किया गया था। चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को संविधान के अनुच्छेद 324 (1–5) के प्रावधानों में अभिव्यक्त किया गया है। चुनाव आयोग से संबधित महत्वपूर्ण बिन्दु निम्न है :–

- चुनाव आयोग 1951 से एक सदस्यीय आयोग के रूप में कार्य करता रहा। श्री सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे।
- 16 अक्तूबर 1989 को राष्ट्रपति आर. वेकटरमण ने दो अन्य चुनाव आयुक्तों श्री एस.एस. धनोवा और वी.एस.सैगल की नियुक्ति की थी। जिससे चुनाव आयोग का स्वरूप बहुसदस्यीय हो गया।
- 2 जनवरी 1990 को राष्ट्रपति ने उपर्युक्त नियुक्तियां रद्द करके आयोग को फिर से एक सदस्यीय बना दिया।
- 1 अक्तूबर 1993 को केन्द्र सरकार ने चुनाव आयोग को पुनः बहुसदस्यीय बना दिया। वर्तमान में भी 1993 से अब तक चुनाव आयोग बहुसदस्यीय है जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और दो अन्य चुनाव आयुक्तो की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वर्तमान में 15 मई 2022 से राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त है।
- मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष और अन्य चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो पहले हो तब तक रहता है।
- मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तो को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायधीशों के बराबर वेतन (2.50 लाख) एवं भते प्राप्त होगें।

भारत में चुनाव सुधार :

भारत में लोक–सभा के लिए 17 आम चुनाव तथा विभिन्न राज्यों के लिए अनेक आम चुनाव हो चुके है। भारत में चुनावों के सांचे–ढांचे और प्रक्रिया में सुधारों की आवश्यकता पर 1952 से ही जोर दिया जाता रहा है। क्योंकि चुनावों में जो प्रमुख दोङ्ख और प्रवृतियां सामने आई है, वे चुनावों में काले धन के अत्यधिक प्रयोग, हिंसा, मतदान केन्द्रों पर कब्जा, सरकारी साधनों के दुरूपयोग की ओर संकेत करती है। अतः चुनावों में निहित इन दोषों को दूर करने के लिए समय–समय पर अनेक आयोग और समितियां गठित की गई है।

सारणी : चुनाव सुधार संबंधी समितियाँ

क्र.स.	समिति का नाम	वर्ष
1	जय प्रकाश नारायण समिति	1974
2	तारकुंडे समिति	1974
3	दिनेश गोस्वामी समिति	1990
4	वोहरा समिति	1993
5	इन्द्रजीत गुप्ता समिति	1998
6	जीवन रेड्डी समिति	2004
7	तनखा समिति	2010
8	जे. एस. वर्मा समिति	2013

भारत में चुनाव सुधारों के लिए समय–2 पर गठित की गई विभिन्न समितियों ने अनेक सुझाव एवं सिफारिशें प्रस्तुत की है। जिनमें से वर्तमान

परिस्थितियों में कुछ सुझावों को लागू करने का प्रयत्न भी किया गया है। यह सुझाव निम्न प्रकार है :–

- मतदाता की मतदान करने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी जाएं। (61वे. संवैधानिक संशोधन द्वारा 1989 में)
- राजनीतिक दलों की आय–व्यय का पूर्ण लेखा–जोखा तैयार किया जाएं। उम्मीदवारों की चुनाव खर्च सीमा तय की जाएं। हाल ही में भारतीय चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा क्षेत्रों के उम्मीदवारों के लिए खर्च की सीमा 54–70 लाख से बढ़ाकर 70–95 लाख रूपए कर दी गई थी। विधानसभा क्षेत्रों के लिए 20–28 लाख रूपए से बढ़ाकर 28–40 लाख कर दी गई थी। वर्ष 2020 में चुनाव खर्च की सीमा का अध्ययन करने हेतू चुनाव आयोग ने एक समिति का गठन किया था।
- जुलाई 1981 में तत्कालीन चुनाव आयुक्त श्यामलाल शंकधर ने पहली बार मतदाताओं को परिचय पत्र देने की सिफारिश की थी। जो 1995 श्री तिरूनिल्लै नरतिर्ल्ले शेषन (टी.एन. शेषन.) ने स्पष्ट घोषणा की कि प्रत्येक मतदाता का फोटो लगा पहचान पत्र प्रदान किया जाए ताकि जाली वोटो पर रोक लगाई जा सकें।
- सभी चुनावों में इलैक्ट्रानिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया जाएं। जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 में 1989 में संशोधन किया गया है और इसमें धारा 61(क) जोड़ी गई है, ताकि मतदान में इलैक्ट्रानिक मतदान मशीनों का प्रयोग किया जा सकें। यह संशोधन 15 मार्च 1989 से लागू हो गया है। 1998 में विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में यथा राजस्थान, मध्यप्रदेश और दिल्ली के चुनावो में पहली बार इस्तेमाल की गई।
- नोटा (NOTA- None of the above) का हिन्दी अर्थ है– इनमें कोई नही है अर्थात मतदाता को दिए गए चुनाव चिहन एवं उसके उम्मीदवारों में से कोई पसंद नहीं है तो वह नोटा पर निशान लगा सकता है। नोटा का यह चिह्न National institute of Design (NID) अहमदाबाद द्वारा बनाया गया है। 2013 में चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के जरिए नोटा चिह्न को चुनाव में जगह दिलवाई थी। जिसके आधार पर 11 अक्तूबर 2013 को बैलट पेपर पर डाल दिया गया था। चुनाव में Nota विकल्प का प्रयोग करने वाला छतीसगढ़ पहला राज्य बना।
- वीवीपीएटी का अर्थ है– मतदाता निरीक्षण पेपर ऑडिट ट्रायल। यह ईवीएम से जुड़ी एक स्वतंत्र प्रणाली है। जो मतदाताओं को अनुमति देती है कि वे यह सत्यापित कर सकते है कि उनका मत उक्त उम्मीदवार को पड़ा है जिसके पक्ष में उन्होंने मत डाला है। जब मत पड़ता है तो एक स्लिप मुद्रित होती है और सात सैकेंड तक उम्मीदवार का नाम तथा चुनाव चिह्न उजागर होता है। यह व्यवस्था मतदाता को पेपर स्लिप के आधार पर अपने मत को चुनौती देने की सुविधा देता है। भारत में इसकी शुरूआत आम चुनाव, 2014 में एक पायलट परियोजना के रूप में 543 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रो में से 8 में की गई थी। जो है– लखनऊ, गांधीनगर, बैंगलोर दक्षिण, चेन्नई सेंट्रल, जादवपुर, रायपुर, पटना साहिब एवं मिजोरम।

भारत में चुनावों को निष्पक्ष स्वतंत्र और पारदर्शी बनाने के लिए समय–समय पर अनेक महत्वपूर्ण चुनाव सुधार संबंधी कदम उठाए गए है जो एक सफल एवं स्वतंत्र लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था के सुचारू क्रियान्वयन के लिए आवश्यक है। हांलाकि

ISSN 2321-0567
Vol. X, Issue II (Oct. – 2022)

उपर्युक्त चुनाव सुधारों के बावजूद भी भारत में चुनाव प्रणाली में अनेक दोष आज भी विद्यमान है। जिनके कारण चुनाव प्रणाली को दोष मुक्त कहना न्यायसंगत नहीं होगा। वर्तमान में चुनाव व्यवस्था में पाए जाने वाले दोष निम्नलिखित हैः–

- चुनावों में बढ़ती धन की भूमिका
- मतदाता सूचियों की अनेक गलतियाँ
- निर्दलीय उम्मीदवारों की बहुलता
- निर्वाचन अधिकारियों पर अनेक अनुचित दवाब
- चुनावों में बढ़ती हिंसा
- चुनाव में सतारूढ़ दल द्वारा सरकारी मशीनरी का दुरूपयोग
- जाली मतदान की बढ़ती प्रवृति
- दलों को प्राप्त समर्थन एवं प्राप्त स्थानों के अनुपात में गंभीर अंतर
- राजनीति का अपराधीकरण और अपराधियों का राजनीतिकरण
- चुनावों में जाति एवं धर्म के नाम का बढ़ता प्रयोग

निष्कर्षः

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतान्त्रिक देश है। लोकतंत्र की सफलता एवं सुचारू क्रियान्वयन के लिए भारतीय संविधान निर्माताओ ने एक स्वायत एवं निष्पक्ष चुनाव आयोग का गठन किया ताकि लोकतंत्र का मुख्य आधार चुनाव सही समय पर निष्पक्ष एवं पारदर्शिता के साथ करवाएं जाएं। इसलिए चुनावों की निष्पक्षता एवं पारदर्शिता को बनाएं रखने के लिए चुनाव से संबंधित सुधारों हेतू अनेक समितियों का गठन किया गया है। जिनके सुझाए गए अनेक सुझावों को लागू भी किया गया है। परन्तु इसके बावजूद भी वर्तमान में चुनावों से संबंधित अनेक दोष देखने को मिलते है जिनको देखकर ऐसा लगता है कि भारत में किए गए विभिन्न सुधार केवल सैद्धान्तिक बनकर कर रह गए है। इसलिए जरूरत है व्यावहारिक तौर पर चुनावों में सुधार संबंधी कठोर कदम उठाने की। वर्तमान में भारतीय चुनावों में सुधारो एवं पारदर्शिता को कठोरता से लागू करने के लिए जरूरी है कि सरकार, चुनाव आयोग एवं जनता आपसी समझदारी, सहयोग एवं सर्तकता का परिचय दें।

संदर्भ सूची :

1. नारंग. ए.एस., "भारतीय शासन एवं राजनीति", गीतांजली पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली, 2011, पृ॰–299.
2. लक्ष्मीकांत, एम, "भारत की राजव्यवस्था", मैक्ग्राहिल, एजुकेशन, चेन्नई, 2017 पृ॰–42. 3–42.4.
3. https://www.iasgyan.in, "चुवावी सुधारों पर प्रमुख समितियाँ–आई ए.एस.ज्ञान".
4. https://www.drishtias.com, "चुनावी खर्च में बढ़ोतरी"
5. https://hi.m wikipedia.org, "चुनाव सुधार"
6. https://hi.m wikipedia.org, "नोटा"
7. https://hi.m wikipedia.org, "वोटर वैरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल–विकीपीडिया"